

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका - पिंपरी ४११०१८

पाणीपुरवठा विभाग

नागरिकांची सनद

| | | | |
|----|--|--|---|
| १ | विभागाचे नाव | पाणीपुरवठा विभाग | |
| २ | विषय | मुख्य जलवाहिनीतील गळती | |
| ३ | आवश्यक कागदपत्रे | -- | |
| ४ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | ३ दिवस | |
| ५ | माहिती / दाखले मिळण्याचे ठिकाण | संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय | |
| ६ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम | कलम १८९ | |
| ७ | शासन निर्णय, आदेश परिपत्रक, ठराव इ. | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम १८९ | |
| ८ | निर्णय घेणारे स्तर | | |
| | स्तर | पदनाम | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| | पहिला स्तर | कनिष्ठ अभियंता | गळतीच्या स्वरूपावर अवलंबून परंतू साधारणतः ३ दिवसांचे आत |
| | दुसरा स्तर | उपअभियंता | |
| | तिसरा स्तर | कार्यकारी अभियंता | |
| | आदेश प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | -- | -- |
| ९ | आवश्यक फी व त्यांचे परिपत्रक | महानगरपालिकेमार्फत गळती बंद केली जाते | |
| १० | फी भरण्याची पध्दत | महानगरपालिकेमार्फत गळती बंद केली जाते त्यामुळे फी भरणेची आवश्यकता नाही | |
| ११ | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग पिं.चिं.म.न.पा.- पिंपरी १८ | |

| | | |
|----|--|--|
| १२ | सेवा विहीत कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल ते अधिकारी व त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक | सह शहर अभियंता पाणीपुरवठा व जलनिःसारण विभाग, पिं.चिं.म.न.पा. (०२०) - ६७३३३३३३ ई-मेल- water@pcmcindia.gov.in |
|----|--|--|

सह शहर अभियंता
पाणीपुरवठा विभाग
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,
पिंपरी ४११०१८